पत्र संख्याः 18/विविध–06–21/2017–सा0प्र0–

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महानिदेशक,
बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान(बिपार्ड),
वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना।

पटना–15, दिनांक अक्टूबर, 2017

विषयः– विभागीय कार्यवाही के संचालन से सम्बद्ध राज्य सरकार के संचालन पदाधिकारियों एवं प्रस्तोता पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3/एम–91/2011–1893 दिनांक 14.06.2011, पत्रांक–3/एम–162/2005–सा0प्र0–10875 दिनांक 24.08.2017 और लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक–5/लोक (कल्याण) 84/2012–8884 दिनांक 25.09.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय कार्यवाहियों के संचालन/निष्पादन हेतु नियुक्त संचालन तथा प्रस्तोता पदाधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यवाहियों का संचालन और निष्पादन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों तथा एतदर्थ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित अनुदेशों के अनुरुप नहीं किये जाने के उदाहरण प्रायः सामने आते रहते हैं। फलतः, विभागीय कार्यवाहियों का संचालन या तो विलम्बित होता है अथवा निष्पादित मामलों की न्यायिक समीक्षाओं में उसका लाभ आरोपित पदाधिकारियों को मिल जाता है जिससे राज्य सरकार को प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

2. इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय होगा कि –

(i) विभागीय कार्यवाहियों के त्रुटिपूर्ण संचालन/निष्पादन के कई मामलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके संचालन/निष्पादन से सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया गया है।

(ii) इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संदर्भगत परिपत्रों (छाया प्रतियाँ संलग्न) द्वारा विभागीय कार्यवाहियों के संचालन/ निष्पादन में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों तथा एतदर्थ सामान्य

प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निर्देशों को पूरी तरह अमल में लाये जाने के अनुदेश भी निर्गत हैं। परन्तु, विभागीय कार्यवाहियों के दोषपूर्ण निष्पादन के मामलों में अपेक्षित कमी नहीं आयी है।

(iii) आलोच्य प्रसंग का एक मामला माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा सम्प्रति विचारित परिवाद संख्या–5/लोक (कल्याण) 84/2012 (जो श्री पंडित चन्देश्वर दीक्षित बनाम भ्रष्टाचार में लिप्त लाभार्थी एवं पदाधिकारी से संबंधित है) से भी आच्छादित है। उक्त वाद में माननीय सदस्य द्वारा दिनांक–14.09.2017 को पारित अंतरिम आदेश (छाया प्रति संलग्न) की संगत टिप्पणी का मूल अंश निम्नवत् है:–

" It appears to this Authority that even the enquiry officer is not aware of the basic norms of conducting a departmental proceeding inasmuch as, after receipt of a written statement of defence in relation to the memo of charge the presenting officer has to be called upon for adducing the evidence oral/documentary in support of the charges. There is no procedure at least prescribed under the Bihar Government Servants (Classification. Control and Appeal) Rules, 2005 wherein on receipt of the written statement of defence in course of a departmental proceeding by the enquiry officer comments have to be either called for on such written statement of defence from the presenting officer or has to be filed by the presenting officer. These types of order infact are being passed by the enquiry officer only to cause delay in the disposal of the departmental proceeding in which the government has already fixed a firm time limit of completing the enquiry within a period of three months and passing the final orders in next three months."

" A copy of this order be also sent to the Principal Secretary of the General Administration Department, Bihar, Patna, by Special Messenger and Email, for ensuring that some sort of training is given to the officer(s)/employee(s) authorized to work as a enquiry officer/presenting officer in relation to the departmental proceeding keeping in view not only the provisions of Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005, but also the circulars issued earlier by the State Government from time to time for effective and early disposal of the departmental proceedings within a fixed time frame."

3. वर्णित आलोक में निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों पर आधारित एक मार्गदर्शिका तैयार की जाय तथा विभागीय कार्यवाहियों के संचालन से जुड़े राज्य सरकार के पदाधिकारियों को उससे अवगत

कराने के लिए राज्य एवं प्रमण्डल/जिला मुख्यालय स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायें जिसमें बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) का सक्रिय सहयोग अपेक्षित होगा।

4. अतः अनुरोध है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों पर आधारित एक मार्गदर्शिका तैयार करते हुए उसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कृपया उपलब्ध कराया जाय तथा विभागीय कार्यवाहियों के संचालन से जुड़े राज्य सरकार के पदाधिकारियों को उससे अवगत कराने के लिए एक माह के अन्दर राज्य एवं प्रमण्डल/जिला मुख्यालय स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रारंभ किया जाय ताकि माननीय सदस्य(न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार, पटना के समक्ष विचाराधीन परिवाद संख्या–5/लोक (कल्याण)84/2012 में दिनांक 03.01.2018 को निर्धारित अगली सुनवाई के समय यथा आदेशित प्रतिवेदन का समर्पण सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के अपर सचिव ।

<u>स्पीड पोस्ट/ई–मेल</u>

ज्ञापांक–18/विविध–06–21/2017–सा0प्र0-13157/पटना–15,13 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि–सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी, प्रशाखा–03), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विभागीय वेबसाईट (सूचना पट्ट) पर अनुलग्नक सहित अपलोड करने हेतु आई0 टी0 प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

13/10/17

सरकार के अपर सचिव ।

पत्रांक –3/एम०–162/2005सा0प्र0 10875 /

(16)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 24-8 2017

विषय– **सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुपालन करने के संबंध में।**

महाशय,

सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 17 में किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 1893 दिनांक– 14.06.2011 द्वारा सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के संदर्भ में उक्त नियमावली में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुसरण करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन भी निर्गत किया गया है। उक्त परिपत्र की कंडिका–2(6)(7)(8) में भी प्रासंगिक नियमावली के नियम–17 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

2. परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में वर्णित नियमावली के नियम–17 के प्रावधानों का सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में कतिपय मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा ऐसे दृष्टान्त सरकार के समक्ष लाये गये हैं।

3. अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 1893 दिनांक– 14.06.2011 में निहित निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश सभी संबंधित को दिया जाय।

विश्वासभाजन,

23/8/17
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक –3/एम० 91 /2011 1893/

(15)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 14-6- 2011

विषय– सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई–बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुसरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 367–427 द्रष्टव्य} में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं और इस विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का सम्यक अनुसरण नहीं किया जाता है जिसके कारण विभागीय कार्यवाहियाँ विलम्बित होती हैं और साथ ही न्यायालयों द्वारा दंडादेशों को निरस्त किया जाता है। प्रक्रियात्मक चूक एवं विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों को नियमों की जानकारी के अभाव एवं उनकी लापरवाही के कारण भी दंडादेश निरस्त हो रहे हैं। कतिपय संचालन पदाधिकारियों, उपस्थापन पदाधिकारियों और अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा उक्त नियमावली का समुचित अध्ययन नहीं करने और उसमें निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का समुचित रूप में अनुसरण नहीं करने से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। यद्यपि उक्त नियमावली के क्रम में पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 362–364 द्रष्टव्य}, पत्रांक 2609 दिनांक 13.09.2006 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 358–360 द्रष्टव्य}, पत्रांक 3448 दिनांक 02.12.2006 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 356–358 द्रष्टव्य}, पत्रांक 2178 दिनांक 28.02.2007 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 354–355 द्रष्टव्य}, पत्रांक 1821 दिनांक 23.05.2007 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 350 द्रष्टव्य}, पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 349 द्रष्टव्य}, पत्रांक 2230 दिनांक 17.04.2008 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 337–340 द्रष्टव्य}, पत्रांक 5659 दिनांक 20.11.2009 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 322–324 द्रष्टव्य} के अंतर्गत विभिन्न विन्दुओं पर मार्गदर्शन दिये जा चुके हैं; फिर भी पाया गया है कि अनुशासनिक कार्रवाइयाँ त्रुटिपूर्ण होना जारी हैं। सरकार ने इस स्थिति को गम्भीरता से लिया है।

2. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः एक विस्तृत मार्गनिदेश निम्नांकित रूप में दिया जाता है–

(1) जैसा कि उक्त नियमावली के नियम–19 में प्रावधान है, लघु दंड के लिए कार्रवाई दो प्रकार से हो सकती है–

(क) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों की लिखित जानकारी देकर उसे अभ्यावेदन देने का मौका देने के बाद, तथा

(ख) जहाँ आरोपों की जाँच आवश्यक हो वहाँ नियम–17 के अंतर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चला कर।

(2) वृहत दंड के लिए कार्रवाई नियम–17 के अंतर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही के पश्चात ही की जा सकती है।

(3) आरोप–पत्र का गठन करने के लिए प्रावधान उक्त नियमावली के नियम– 17(3) में है। इसके अलावे "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप–पत्र का गठन विनियमावली, 2011" के प्रावधानों और उसके साथ संलग्न प्रपत्र 'क' का अनुसरण किया जाय। प्रत्येक आरोप/लांछन संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट एवं अलग–अलग क्रमांकों के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों का अभिकथन के रूप में होना चाहिए। अभिकथन में दिनांक, घटना का अवसर एवं अवचार या कदाचार की प्रकृति का उल्लेख आवश्यक होगा। आरोप–पत्र के साथ उन दस्तावेजों/साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, भी संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) नियमावली के नियम– 9, 10, 11, 12 एवं 13 के प्रसंग में विस्तृत मार्गदर्शन पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 के तहत निर्गत है। {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 362–364 द्रष्टव्य}।

(5) उक्त नियमावली के नियम–10 के अनुसार निलबंन अवधि में अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता एवं ऐसे अर्द्ध औसत वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है। अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं किया गया है।

(6) संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान नियम–17(2) {वर्ष 2008 में यथा संशोधित} में है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान नियम–17(5) में है। संचालन पदाधिकारी के रूप में आरोपित सरकारी सेवक से वरीय पदाधिकारी की ही नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में ऐसे सरकारी सेवक की नियुक्ति की जाय जो अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से विषय को समुचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वांछित जानकारी रखते हों। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होता है कि आरोप से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। उसका कार्य अभियोजन पक्ष को प्रस्तुत करने का होता है।

(7) संचालन पदाधिकारी को एक आदेश फलक रखना है और उसमें प्रत्येक दिन की कार्यवाही अंकित करते हुए आरोपित सरकारी सेवक एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित कराना है। संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को नियम–17 के प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन कर उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि विभागीय कार्यवाही/जाँच के संचालन की पूरी प्रक्रिया उक्त नियम 17 में दी हुई है।

(8) प्रायः यह देखा जाता है कि संचालन पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में दंड की भी अनुशंसा कर देते हैं। उन्हें नियम–17(23) के अनुसार जाँच का निष्कर्ष प्रतिवेदित करना है, दंड की अनुशंसा नहीं करनी है।

(9) जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद अनुशासनिक प्राधिकार को नियम–18 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करनी है। नियम–18 के उपनियम (6) एवं (7) को मद्दे नजर रखते हुए समुचित कार्रवाई के पश्चात दंडादेश का संसूचन करने के क्रम में दण्डों का सकारण उल्लेख किया जाना है।

(10) संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से अनुशासनिक प्राधिकार की असहमति की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान उक्त नियमावली के नियम–18 के उपनियम (1) एवं (2) में है। तदनुसार

अनुशासनिक प्राधिकार पुनः जाँच के लिए कार्यवाही संचालन पदाधिकारी को भेज सकते हैं या स्वयं जाँच कर सकते हैं। अनुशासनिक प्राधिकार को असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करना है और ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलिखित करना है यदि अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो।

(11) दंड पर निर्णय लेते समय अनुशासनिक प्राधिकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निलंबन अवधि को यदि कर्त्तव्य पर नहीं समझे जाने का निर्णय लिया जाता है तो निलंबन अवधि के संबंध में आदेश दंडादेश के साथ नहीं दिया जाय। एतदर्थ नियम–11(5) के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद अलग से आदेश निर्गत किया जाना है।

(12) विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने की अधिकतम सीमा एक वर्ष है। पत्रांक 2178 दिनांक 28.02.2007 के तहत कार्यवाही के विभिन्न चरणों की समय–सीमा निर्धारित है। {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 354–355 द्रष्टव्य}। इसका अनुपालन किया जाय।

(13) अपील के लिए समय–सीमा पैंतालिस दिन है (नियम–25)। नियम 24(2) के अनुसार सरकार के आदेश विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है, सिर्फ ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकती है।

(14) पुनरीक्षण की समय–सीमा छह माह है। इस संबंध में प्रावधान नियम–28 में है।

(15) विभागीय कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी। ऐसे मामलों में नियम 43(बी) के तहत कोई नया आदेश निर्गत नहीं कर कार्यवाही के नियम–43(बी) के तहत स्वतः परिवर्तन संबंधी एक आदेश निर्गत करना ही पर्याप्त होगा। ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही का ताजा आदेश कदापि निर्गत नहीं किया जाय। नियम 43(बी) के तहत कोई नया(ताजा) आदेश वैसे ही मामलों में निर्गत हो सकता है जहाँ सेवानिवृत्ति के बाद आरोप–पत्र निर्गत किया गया हो।

(16) माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. नं०– 12943/09 (उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.05.2010 को पारित आदेश के तहत स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गयी है कि बिहार पेंसन नियमावली के नियम 43(बी) के अंतर्गत चार वर्षों की गणना, घटना की तिथि से होगी, न कि घटना की जानकारी की तिथि से; अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से चार वर्ष से पहले का है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आयेगा। इस संबंध में पूर्व में पत्रांक 3448 दिनांक 02.12.2006 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 356–358 द्रष्टव्य} की कंडिका 3(vi) में दिया गया अनुदेश तुरत के प्रभाव से अवक्रमित समझा जायेगा।

(17) बिहार पेंसन नियमावली के नियम–139 के तहत सीधे कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नियम 43(बी) में विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के फलाफल के आधार पर ही नियम 139 के तहत पेंसन से कटौती संभव है। परन्तु, यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि पेंसनभोगी की सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना भी नियम– 139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है।

(18) पेंसन नियमावली के नियम 43(ए) के तहत सरकार को पूरा पेंसन या उसके किसी अंश को रोकने की शक्ति है। अतः यदि सेवानिवृत्ति के बाद आरोप–पत्र गठित कर नियम– 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित होती है तो उसके फलाफल के आधार पर पेंसन रोकी जा सकती है। परन्तु यदि सेवानिवृत्ति की तिथि तक या उसके तुरत बाद आरोप–पत्र गठित नहीं है

19/1

(12)

और विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो पायी है तो पेंसनादि की स्वीकृति पर विचार में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

3. लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में अनुसरणात्मक कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन संकल्प सं० 3406 दिनांक 08.10.2007 के तहत दिया जा चुका है। {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 341–342 द्रष्टव्य}।

4. अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने संबंधी प्रक्रियागत मार्गदर्शन एवं चेकस्लिप पत्रांक 2609 दिनांक 13.09.2006 के तहत निर्गत है। {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 358–360 द्रष्टव्य}।

5. संचालन पदाधिकारियों एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों को यह स्पष्ट हिदायत दिया जाना सुनिश्चित किया जाय कि –

(क) संचालन पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे अभिलेख पर विचार नहीं करें जिसकी प्रतिलिपि आरोपित सरकारी सेवक को नहीं दी गयी हो या उसे दिखाया नहीं गया हो। वे किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं करें जिसकी जानकारी आरोपित सरकारी सेवक को नहीं हो।

(ख) जबतक आवश्यक नहीं हो जाय, कार्यवाही खुला एवं पारदर्शी हो।

(ग) सुनवाई में लम्बा स्थगन नहीं दिया जाय।

(घ) संचालन पदाधिकारी आरोपित सरकारी सेवक के प्रति व्यक्तिगत विद्वेष से ग्रस्त नहीं हों।

(ङ) कार्यवाही आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में नहीं हो। यदि वह जानबूझकर अनुपस्थित होता हो तो उसे आदेश फलक पर स्पष्टतः अभिलेखित करना चाहिए।

6. अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गनिदेशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, उपर्युक्त स्पष्ट अनुदेशों/मार्गदर्शनों एवं उक्त नियमावली के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद यदि कोई प्रक्रियात्मक चूक होती है और इस कारण दंडादेश न्यायालय द्वारा निरस्त होता है तो संबंधित विभाग ऐसी चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को दंडित करे और चारित्री/पी.ए.आर. में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित किया जाना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग ऐसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, जो विभाग में इन दायित्वों को देखते हों, के लिए अनुशासनिक कार्रवाई संचालन से संबंधित प्रशिक्षण, बिपार्ड के सहयोग से आयोजित करे ताकि प्रक्रियात्मक चूक से बचा जा सके।

विश्वासभाजन,

Dupey 13/6

(दीपक कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

अवर सचिव (3)/परिपत्र/अनु. कार्रवाई

विशेष दूत / ई0–मेल0
(अत्यावश्क / गोपनीय)

लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष

सुनवाई से सम्बंधित

परिवाद संख्या–5 / लोक(कल्याण)84 / 2012 8884 / लोक, पटना–1, दिनांक: 25/09/17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:– परिवाद संख्या–5 / लोक(कल्याण)84 / 2012 में दर्ज भ्रष्टाचार में लिप्त लाभार्थियों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में श्री पं0 चंदेश्वर दीक्षित, सा0–चेंगौना, थाना–शिकारपुर, जिला–पं0 चम्पारण का परिवाद पत्र।

उपर्युक्त विषयक मामले मे माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–14.09.17 की छायाप्रति एतद–सह–संलग्न करते हुए सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परिवाद की अगली सुनवाई लोकायुक्त कार्यालय के न्यायालय कक्ष, 4, कौटिल्य मार्ग पटना–1 (स्थान) पर **दिनांक–03/01/2018** को की जायेगी।

निदेशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्धारित तिथि को वांछित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ किसी वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, एवं इसमें विफल नहीं होंगे।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर के साथ दिया गया ।

तारीख–25/09/17
अनु0–यथोक्त।

लोकायुक्त का कार्यालय बिहार, पटना

22.9.17
अवर सचिव,
लोकायुक्त कार्यालय,
बिहार, पटना।

राकेश / 20.09.17

(10)

Lokayukta, Bihar, Patna
05/Lok (Kalyan) 84/2012
Sri. Pandit Chandeshwar Dixit
Vs.
Bhrastachar Me Lipt Lavarthi & Padhakari.

14.09.2017

Pursuant to the earlier order dated 10.04.2017 Sri.Rajeev, District Panchayati Raj Officer (D.P.R.O), West Champaran,Bettiah District and Sri. Aman Kumar, Sub-Divsional Police Officer (S.D.P.O), Narkatiyaganj, are present.

Having regard to the two reports submitted by the Collector of West Champaran (Bettiah) District, contained in his Letter No.99 dated 12.09.2017 and by the S.D.P.O, Narkatiyaganj, in his contained in his Memo No.2002 dated 18.08.2017 this Authority will have no difficulty in holding that neither the District Administration nor the police of West Champaran (Bettiah) District, is really serious in taking action against the persons found guilty in misappropriating/ causing embezzlement of the government fund.

(9)

Let it be kept in mind that this case was filed in the year 2012 on 18.10.2012 and when an enquiry was started the F.I.R of Sikarpur P.S. Case No.404/12 dated 02.12.2012 for offences under Sections-409/420/467/468/471/34 of the Indian Penal Code (I.P.C) was registered. It is really shocking for this Authority to find that the aforesaid criminal case is still under investigation. Whatever justification has been given in the report filed today by Sri. Aman Kumar, Sub-Divisional Police Officer (S.D.P.O), Narkatiyaganj, cannot satisfy the requirement of the Code of Criminal Procedure and in that view of the matter the Superintendent of Police (S.P), West Champaran (Bettiah) District, having failed to comply his own undertaking as recorded in the order dated 10.04.2017 must file his own explanation as with regard to inordinate delay of nearly five years in completing the investigation of Sikarpur P.S. Case No.404/12 dated 02.12.2012. Such explanation of the Superintendent of Police (S.P), West Champaran

(8)

(Bettiah) District, shall be accompanied with an up to date case diary and the names of all the investigating officers/supervising officers so that this Authority for such delay in the investigating of the criminal case.

Reverting back to the report of the Collector of West Champaran (Bettiah) District, contained in his Letter No.99 dated 12.09.2017 it is found that the situation is not better even in respect of the certificate proceeding/departmental proceeding. The certificate proceeding is said to be pending before the Sub-Divisional Certificate Officer, Narkatiyaganj, who ought to have not disrupted his action in the certificate proceeding on account of same order passed in a bail petition filed by Smt. Rinki Devi and/or Sri. Om Prakash Shukla, the then Panchayat Secretary, Gram Panchayat- Maldahiya-Pokhariya. Such bail orders having neither directly nor indirectly any relation to a certificate proceeding, the non realization of the certificate amount with interest by

the Certificate Officer from Sri. Om Prakash Shukla is a clear abdication of duty on his part.

Thus, the amount must be recovered from Sri. Om Prakash Shukla, the then Panchayat Secretary within a period of three months from today by the Certificate Officer. For this purpose the Sub-Divisional Certificate Officer, Narkatiyaganj, will be under obligation to submit his action taken report through the Collector of West Champaran (Bettiah) District, enclosing photocopy of the day to day order-sheet of the certificate proceedings (Certificate Case No.01/2017-18) which in turn shall be produced before this Authority through a senior officer of the Collectorate of West Champaran (Bettiah) District on the next date of enquiry and hearing of this case, with the comments and opinion of the Collector of West Champaran (Bettiah) District.

As a matter of fact, the Collector of West Champaran (Bettiah) District having regard to the provisions made under Section-59 of Bihar Public

(6)

Demand Recovery Act will be also required to periodically monitor the pending certificate cases before all the Certificate Officer(s) of his District so that such certificate proceedings being summary proceedings do not linger unnecessarily causing not only delay in realization of the government dues but also causing the stigma to the District Administration of West Champaran (Bettiah) District in the matter of revenue collection.

The Collector of West Champaran (Bettiah) District should also seriously consider the desirability of retaining the Block Development Officer (B.D.O), Narkatiyaganj, as a presenting officer in a departmental proceeding if he has failed to even give his comments to the written statement of defence filed by the delinquent Sri. Om Prakash Shukla, the then Panchayat Secretary, in a period of two months. Let it be kept in mind that Mr. Shukla had filed his written statement of defence on 15.07.2017 and the enquiry officer had sent a copy

thereof to the B.D.O, Narkatiyaganj, for his comments vide his letter date 18.07.2017 and the same is said to have been not even replied by the B.D.O, Narkatiyaganj-cum-Presenting Officer, till date.

It appears to this Authority that even the enquiry officer is not aware of the basic norms of conducting a departmental proceeding inasmuch as, after receipt of a written statement of defence in relation to the memo of charge the presenting officer has to be called upon for adducing the evidence oral/documentary in support of the charges. There is no procedure at least prescribed under the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 wherein on receipt of the written statement of defence in course of a departmental proceeding by the enquiry officer comments have to be either called for on such written statement of defence from the presenting officer or has to be filed by the presenting officer. These types of order infact are being passed by the enquiry officer only to cause

delay in the disposal of the departmental proceeding in which the government has already fixed a firm time limit of completing the enquiry within a period of three months and passing the final orders in next three months.

The Collector of West Champaran (Bettiah) District, therefore, should also ensure that an appropriate training is given to the officers entrusted with the duty of enquiry officer and/or presenting officer which may enable the District Administration of West Champaran (Bettiah), to get the pending departmental enquiries disposed of expeditiously.

This Authority hopes and believes that with the personal intervention of the Collector of West Champaran (Bettiah) District, both the departmental proceeding as well as the certificate proceeding against Sri. Om Prakash Shukla, the then Panchayat Secretary will be concluded as early as possible but in no event later than three months from the date of receipt of this order.

(3)

Put up this case for further enquiry and haring as a part heard and tied up matter on 03.01.2018 when an action taken report/explanation from the Collector of West Champaran (Bettiah) District and the Superintendent of Police (S.P), West Champaran (Bettiah) District shall be produce by some senior officer of their office.

The Superintendent of Police (S.P), West Champaran (Bettiah) District in addition to submission of his action taken report/explanation alongwith the case diary will also transmit the statistics of pending of criminal cases for investigation within his control and jurisdiction in the different police stations wherein the informant is a government servant and has alleged misappropriation of fund of public officials/persons. The Superintendent of Police (S.P), West Champaran (Bettiah) District, infact must evolve some methodology to monitor the investigation of the criminal cases filed by the government servants against the public officials

(2)

relating to misappropriation of the government fund and/or allied offences.

Let a copy of this order be sent to the Collector of West Champaran (Bettiah) District and the Superintendent of Police (S.P), West Champaran (Bettiah) District, by Email.

Let a copy of this order be also sent to the Principal Secretary of the Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna, by Special Messenger and Email for evolving some mechanism and/or giving training to the officials vested with the power of certificate officers for discharging the duties under Bihar Public Demand Recovery Act.

A copy of this order be also sent to the Principal Secretary of the General Administration Department, Bihar, Patna, by Special Messenger and Email, for ensuring that some sort of training is given to the officer(s)/employee(s) authorized to work as a enquiry officer/presenting officer in relation to the departmental proceeding, keeping in view not only the

provisions of Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005, but also the circulars issued earlier by the State Government from time to time for effective and early disposal of the departmental proceedings within a fixed time frame.

Both the Principal Secretary of the Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna as also the Principal Secretary of the General Administration Department, Bihar, Patna, shall ensure submission of a compliance report on the next date of enquiry and hearing of this case i.e., on 03.01.2018 through some senior officer of their departments.

Sd/-

(मिहिर कुमार झा)

मा० उप लोकायुक्त,

लोकायुक्त, बिहार।